


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक 48 एवं 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 55 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.08.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रुल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा*।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि

 25.6.19


में उर्त्तीण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उर्त्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें।

चूंकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चरपा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-

दिनांक : 25.06.19

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम).....।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

2/6

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 25.6.19 के तहत 46 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/-रुपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	अमित व्यास सी.सै. 08.05.1989	पुत्र	22.02.2019 कनिष्ठ सहायक	धर्मेन्द्र व्यास चश्रेक	27-12-2018	बीकानेर
2	सुमन सी.सै. एमए 03.01.1987	पत्नी	11.10.2018 कनिष्ठ सहायक	रणधीर सिंह कनिष्ठ सहायक	30-08-2018	चुरु
3	महेश कुमार माली सी.सै. 25.06.1996	पुत्र	12.03.2019 कनिष्ठ सहायक	नंदलाल माली चश्रेक	07-02-2019	चुरु
4	मुकेश बरबड़ सी.सै. बीटेक 26.07.1990	पुत्र	25.01.2019 कनिष्ठ सहायक	बाबूलाल बरबड़ व्याख्याता	26-12-2018	चुरु
5	मोहम्मद वसीम एमए 15.07.1986	पुत्र	08.03.2019 कनिष्ठ सहायक	महुनुद्दीन वरिष्ठ सहायक	02-02-2019	चुरु
6	सुमन सी.सै. 05.06.1979	पत्नी	01.04.2017 कनिष्ठ सहायक	राजेश जाखड़ वरिष्ठ अध्यापक	08-01-2017	चुरु
7	शशि कुमार तवर सी.सै. 03.08.1998	पुत्र	11.11.2016 कनिष्ठ सहायक	हरलाल प्रधानाध्यापक	17-09-2016	चुरु
8	मुकेश सैनी, सी.सै. 03.01.1990	पुत्र	09.02.2019 कनिष्ठ सहायक	स्व. रामावतार सैनी प्र.शा.से.	12-01-2019	चुरु
9	आलोक कुमार कानव बीए 23.02.1998	पुत्र	19.12.2018 कनिष्ठ सहायक	रामनारायण कानव अध्यापक	24-11-2018	जयपुर
10	राकेश कुमार मीणा बीए 02.01.1995	पुत्र	20.05.2019 कनिष्ठ सहायक	रोहिताश मीणा अध्यापक	19-04-2019	जयपुर
11	ओमप्रकाश कुमावत एमकॉम 01.07.1986	पुत्र	28.02.2019 कनिष्ठ सहायक	सत्यनारायण घमोनिया वरिष्ठ सहायक	27-01-2019	जयपुर
12	गर्वित जीवनानी सी.सै. 04.01.2000	पुत्र	23.10.2018 कनिष्ठ सहायक	नीतू मंगलानी व्याख्याता	03-08-2018	जयपुर
13	भूपेन्द्र कुमार मीना बीए 26.12.1994	पुत्र	18.02.2019 कनिष्ठ सहायक	रंगलाल मीना कनिष्ठ सहायक	28-01-2019	जयपुर
14	तिनेश चन्द्र बैरवा बीए 21.08.1994	पुत्र	11.12.2018 कनिष्ठ सहायक	प्रेमचन्द बैरवा अध्यापक	13-10-2018	जयपुर
15	दीपक चन्देला बीए 28.10.1994	पुत्र	17.01.2019 कनिष्ठ सहायक	कैलाश चन्देला चश्रेक प्राशि	15-12-2018	जयपुर
16	रामदयाल सारण बीए 15.04.1999	पुत्र	15.10.2018 कनिष्ठ सहायक	श्याम सुन्दर शाशि	03-09-2018	जोधपुर
17	सरिता सी.सै. 01.08.1990	पत्नी	05.03.2019 कनिष्ठ सहायक	जेठाराम अध्यापक	24-12-2018	जोधपुर


25.6.19

18	सुमित कुमार माथुर बीकॉम 25.05.1990	पुत्र	08.10.2018 कनिष्ठ सहायक	सुनील कुमार स.प्र.अ.	06-09-2018	जोधपुर
19	हरिश भील सी.सै. 17.07.1993	पुत्र	25.09.2018 कनिष्ठ सहायक	बुधाराम भील चश्रेक	25-08-2018	जोधपुर
20	विक्रम चौधरी बीए 13.10.1996	पुत्र	26.03.2019 कनिष्ठ सहायक	मोतीराम अध्यापक	10-02-2019	जोधपुर
21	आरती फौजदार सी.सै. 05.10.1992	पुत्री	10.03.2016 कनिष्ठ सहायक	अनूपसिंह फौजदार प्र.शा.से.	27-01-2016	जोधपुर
22	गौरव भाटिया सी.सै. 28.01.1999	पुत्र	21.01.2019 कनिष्ठ सहायक	प्रदीप कुमार भाटिया प्रधानाचार्य	22-12-2018	जोधपुर
23	हरिश विश्णोई सी.सै. 06.04.2001	पुत्र	02.06.2018 कनिष्ठ सहायक	सुखराम वरिष्ठ अध्यापक	21-04-2018	जोधपुर
24	हितेश राव सी.सै. 10.12.1995	पुत्र	19.10.2015 कनिष्ठ सहायक	रमेश राव चश्रेक	03-04-1999	पाली
25	विमल कुमार जांगिड़ सी.सै. 27.07.1991	पुत्र	08.02.2019 कनिष्ठ सहायक	रामलाल खाली अध्यापक	08-01-2019	अजमेर
26	दया कुमारी सी.सै. 19.09.1981	पत्नी	12.01.2019 कनिष्ठ सहायक	दीपक कुमार नवल अध्यापक	11-12-2018	अजमेर
27	अजय चौधरी सी.सै. 25.04.2001	पुत्र	24.01.2018 कनिष्ठ सहायक	केदार लाल जाट शाशि	01-12-2017	अजमेर
28	राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर सी.सै. 20.08.1997	पुत्र	19.07.2018 कनिष्ठ सहायक	जगदीश प्रसाद अध्यापक	21-06-2018	अजमेर
29	दिनेश लाडना सी.सै. 14.05.1996	पुत्र	06.02.2015 कनिष्ठ सहायक	सुगन चन्द वरिष्ठ अध्यापक	25-08-2003	अजमेर
30	जितेन्द्रसिंह राठौड़ सी.सै. 15.12.1993	पुत्र	11.10.2018 कनिष्ठ सहायक	भौमसिंह राठौड़ वरिष्ठ अध्यापक प्राशि	08-09-2018	अजमेर
31	मुकेश सोलंकी सी.सै. 07.11.1999	पुत्र	10.11.2018 कनिष्ठ सहायक	जगदीश प्रसाद वरिष्ठ अध्यापक प्राशि	29-09-2018	अजमेर
32	मुकेश डूडी सी.सै. 23.12.1989	पुत्र	13.08.2018 कनिष्ठ सहायक	भंवर लाल डूडी अध्यापक प्राशि	11-06-2018	अजमेर
33	सुमरन सिंह बीए 04.07.1981	पुत्र	31.12.2018 कनिष्ठ सहायक	बनैसिंह गुर्जर अध्यापक	11-11-2018	भरतपुर
34	शिव कुमार बीए 25.01.1986	पुत्र	19.02.2019 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मणसिंह अध्यापक	27-01-2019	भरतपुर
35	मेनका एमए 09.12.1992	पत्नी	08.11.2018 कनिष्ठ सहायक	मानवेन्द्र शर्मा कांस्टेबिल कार्मिक(क-2)	07-10-2016	भरतपुर
36	दीपक सिंह इण्टरमीडिएट 01.07.1997	पुत्र	20.11.2017 कनिष्ठ सहायक	ओंकारसिंह वरिष्ठ सहायक	14-10-2017	भरतपुर
37	सुभाष वर्मा सी.सै. 07.02.2000	पुत्र	10.11.2018 कनिष्ठ सहायक	बुद्धिप्रकाश वर्मा प्रधानाचार्य	28-09-2018	भरतपुर
38	रविकान्त बीए 04.03.1990	पुत्र	08.03.2019 कनिष्ठ सहायक	हरिकिशन महावर व्याख्याता	04-02-2019	कोटा

25.6.19

25.6.19

39	महावीर प्रसाद नागर सी.सै. बीटेक 20.07.1995	पुत्र	07.11.2017 कनिष्ठ सहायक	रामप्रसाद नागर अध्यापक पंचायतराज	28-09-2017	कोटा
40	गौरव सालवी बीए 24.04.1985	पुत्र	26.10.2018 कनिष्ठ सहायक	पुष्पा सांचोरा अध्यापिका	03-10-2018	उदयपुर
41	निधि व्यास बीए 30.06.1988	पुत्री	16.05.2012 कनिष्ठ सहायक	देवेन्द्रनाथ व्यास पुस्तकालयाध्यक्ष	25-10-1995	उदयपुर
42	जितेन्द्र यादव बीए 18.12.1993	पुत्र	11.01.2019 कनिष्ठ सहायक	रामचन्द्र यादव अध्यापक	28-11-2018	उदयपुर
43	नरेश आसनानी सी.सै. 15.07.1997	पुत्र	25.09.2018 कनिष्ठ सहायक	मनोहर लाल आसनानी अध्यापक	25-08-2018	उदयपुर
44	दिलीप कुमार खराड़ी एमए 04.12.1990	पुत्र	14.08.2018 कनिष्ठ सहायक	अशोक खराड़ी अध्यापक	15-07-2018	उदयपुर
45	गुंजन पाटीदार सी.सै. 01.01.1997	पुत्र	30.05.2013 कनिष्ठ सहायक	स्व. मुकेश पाटीदार अध्यापक पंचायतराज	22-04-2013	उदयपुर
46	जयेश सनाढ्य एमए. 15.11.1988	दत्तक पुत्र	30.03.2017 कनिष्ठ सहायक	प्रकाशचन्द्र सनाढ्य शाशि प्राशि	15-02-2017	उदयपुर

नोट :- क्रम संख्या 24, 29 व 41 पर अंकित प्रकरणों में आयु सीमा/समय सीमा में शासन द्वारा शिथिलन प्रदान किया गया है।


(निधमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

5/6

25.6.19

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901/नियुक्ति मूल/2019/ दिनांक 25.6.19 के तहत 09 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर मण्डल आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :-
(स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित मण्डल
1	सुलोचना साक्षर 11.03.1965	पत्नी	19.02.2019 चश्रेक	मंगल चन्द सैनी चश्रेक	24-12-2018	चुरु
2	कैलाश सोहू सैकेण्डरी 08.08.1993	पुत्र	06.10.2017 चश्रेक	श्रीराम अध्यापक	03-09-2017	जोधपुर
3	श्रवणसिंह आठवी 15.07.1997	पुत्र	12.03.2018 चश्रेक	जैवसिंह चश्रेक	19-12-2017	जोधपुर
4	मंजु कुमारी सातवी 01.01.1992	पत्नी	02.08.2018 चश्रेक	प्रकाश लोहार वरिष्ठ सहायक	01-06-2018	पाली
5	विक्रम सिंह रावत आठवी 18.10.1992	पुत्र	19.12.2018 चश्रेक	शंकरसिंह रावत चश्रेक	06-11-2018	अजमेर
6	बुधाराम सैन आठवी 12.11.1994	पुत्र	09.07.2018 चश्रेक	ओमप्रकाश चश्रेक	30-05-2018	अजमेर
7	नारायणलाल सातवी 13.11.1988	पुत्र	12.10.2018 चश्रेक	देवीलाल चश्रेक	14-09-2018	उदयपुर
8	ओमवती आठवी 10.03.1986	पत्नी	25.03.2019 चश्रेक	विजय बाबू वरिष्ठ सहायक	24-02-2019	भरतपुर
9	मांगीलाल पालीवाल आठवी 20.04.1984	पुत्र	17.07.2018 चश्रेक	राधेश्याम पालीवाल चश्रेक	25-06-2018	उदयपुर

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

6/6